

12.45 hrs.

Title: Introduction of the Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2003.

MR. SPEAKER: On behalf of Shri Arun Jaitley, Shrimati Sushma Swaraj will introduce the Bill, which is listed as Item No. 20.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Sir, on behalf of my colleague, Shri Arun Jaitley, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Contempt of Courts Act, 1971."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Sect. 2, dated 8.5.2003.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं जीरो ऑवर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं श्री खगेन दास को बोलने का मौका दे रहा हूँ।

â€ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर प्रश्न हैâ€ (व्यवधान)

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया हैâ€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सबसे पहले उनको इजाजत दे रहा हूँ। आप बैठिए, मैं आपको भी मौका दूंगा।

â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को आपके विाय के लिए सदन में बुलाया है।

â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको अपने विाय पर बोलना है तो एक के बाद एक विाय लेना होगा। अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अगर आप कोआपरेट नहीं करेंगे तो किसी का भी विाय नहीं आ सकेगा। आप जानते हैं कि त्रिपुरा में बहुत हत्याएं हुई हैं इसलिए मैं पहले उनको मौका दे रहा हूँ।

â€ (व्यवधान)